भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2840

दिनांक 17 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य सुरक्षा कानूनों का समान और प्रभावी प्रवर्तन

2840 डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एफएसएसआई द्वारा जारी परामर्शों के बावजूद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रवर्तन में राज्यों के बीच लगातार बनी हुई असमानताओं का संज्ञान लिया है;

(ख) क्या सरकार ने देशभर में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में कमियों का आकलन कराया है, जिसमें राज्यों में प्रशिक्षित कार्यबल की कमी, आधुनिक परीक्षण सुविधाओं का अभाव तथा खाद्य मिलावट के मामलों में कम दोषसिद्धि दर जैसे पहलू शामिल हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित खाद्य सुरक्षा क्रियान्वयन नीति तथा सुदृढ़ प्रवर्तन तंत्र सहित संस्थागत सुधारों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) क्या राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानूनों के समान क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तथा अवसंरचना और मानव संसाधन संबंधी कमियों को दूर करने के लिए किसी विधायी या वित्तीय उपाय का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं आयात को विनियमित करने का दायित्व

सौंपा गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (एफएसएसआर) के तहत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से नियमित रूप से स्थानीय/लक्षित विशेष प्रवर्तन एवं निगरानी अभियान चलाता है, जिसमें राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी योजना (एनएएसपी), निरीक्षण और नमूनालेने संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई ने जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली (आरबीआईएस) विकसित की है, जिसमें खाद्य व्यवसाय से जुड़े जोखिम के आधार पर निरीक्षण की आवृत्ति तय की जाती है और दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। यदि मानकों से कोई विचलन या एफएसएसआर

का उल्लंघन पाया जाता है, तो दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ), जिनमें खाद्य सेवा प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार दंडात्मक उपायों सहित नियामक कार्रवाई की जाती है।

एफएसएसएआई ने खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त 252 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, अपीलीय नमूनों के विश्लेषण के लिए 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया गया है। एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एमएफटीएल), जिसे "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स"(एफएसडब्ल्यू) कहा जाता है, के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई है। यह मिलावट से निपटने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि एफएसडब्ल्यू विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की मौके पर ही जांच करने के लिए बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं। वर्तमान में, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंमें 305 एफएसडब्ल्यू तैनात हैं। हालांकि, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसएफटीएल) संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों द्वारा स्थापित और संचालित की जाती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, 4208 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 2997 खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यरत हैं और 718 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 668 निर्दिष्ट अधिकारी कार्यरत हैं।

मानव संसाधन की क्षमता बढ़ाने के लिए, एफएसएसएआई द्वारा नियामक और प्रयोगशाला अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संपूर्ण नियामक प्रणाली में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्देशिका और प्रयोगशालाओं के लिए भी निर्देशिका प्रकाशित की है।

एफएसएसएआई देश में खाद्य सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। इस सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रवर्तन और अनुपालन को सुदृढ़ बनाना जैसे लाइसेंसिंग और पंजीकरण, निरीक्षण और लेखापरीक्षा, प्रवर्तन नमूना लेना और निगरानी नमूनों का और परीक्षण करना;
- उपभोक्ता शिकायत निवारण;
- अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण;
- खाद्य परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना जैसे प्रयोगशालाओं के लिए उच्च स्तरीय/बुनियादी उपकरण उपलब्ध कराना;
- ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्कूल जैसी एफएसएसएआई की पहलों को बढ़ावा देना;
- एफएसओ और डीओ द्वारा निरीक्षण और नमूना लेने के लिए वाहनों को किराए पर लेना जैसी शिथिलनीय सहायता प्रदान करना।

*****